

1107
5

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....146...../
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 22/मई/2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक बी/1951 जबलपुर दिनांक 23.04.2025 के द्वारा श्रीमती पदमा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सों अधिनियम-2012 एवं कार्यालय संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 285 दिनांक 30.04.2025 के द्वारा श्रीमत अनु सिंह, 17 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को ओ0ए0डब्लू0 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-8 की उपधारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 336/दो-1-1/2000 दिनांक 30.04.2024 के सरल क्रमांक 65 के पश्चात् अंकित नोट की कंडिका क्रमांक 05 (अ) को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

05(अ) चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय से दिनांक 01.05.2025 के पूर्व में निराकृत हुए ओ0ए0डब्लू0 से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन से उद्भूत विविध प्रकरण अथवा आवेदन एवं सिविल प्रकरण (क्लेम सहित) तथा उनसे संबंधित विविध प्रकरण/भुगतान आवेदन व उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किए गए हैं, का निराकरण 17वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sdL
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 22/मई/2025

पृष्ठांकन क्रमांक.....2688...../
दो-1-1/2000

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)